

न्यायालय : कु0 मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

::: कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष 2026 :::

आदेश दिनांक 15.01.2026

मैं कु0 मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) एवं 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना न्यायिक जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरस्त करते हुये यह नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के अनुमोदन उपरांत दिनांक 19-01-2026 से प्रभावशील होकर, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अनुक्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1	2	3	4
1	कु0 मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र— 1— केन्ट, 2— कोतवाली	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत— क. आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों एवं आपराधिक परिवाद पत्र धारा 200 दं.प्र.सं./223 बी.एन.एस.एस. तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) एवं खात्मा प्रतिवेदन। 2. नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलें। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) संपूर्ण जिला-गुना	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में अंकित संपूर्ण जिला गुना के क्षेत्राधिकारांतर्गत — क. चलित न्यायालय। ख. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। ग. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण। घ. ऐसे समस्त अधिनियम/कार्यवाहियां, जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो। ड. धारा 306 दं.प्र.सं./343 बी.एन.एस.एस. के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। च. अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित प्रकरण। छ. संपूर्ण गुना जिला क्षेत्राधिकारितांतर्गत के खारजी प्रतिवेदन। ज. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियों। झ. सरफेसी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। ड. वे समस्त प्रकरण/कार्यवाहियों, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण/कार्यवाहियों के विचारण/सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो।
		3(स) गुना, म्याना एवं बमौरी तहसील क्षेत्र एवं आरक्षी केंद्र	1. स्तंभ क्रमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. श्रम निरीक्षकों/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण ख. नाप-तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।



		धरनावदा (गुना तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।
2	श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र— 1— म्याना 2— जी.आर.पी.	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र— (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र— (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ, (5) फतेहगढ, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र— म्याना, जी.आर.पी., केन्ट एवं कोतवाली	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में — क. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
2-A	न्यायाधिकारी, न्यायालय गुना	ग्राम 3(अ) म्याना एवं बजरंगगढ के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभूत ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर पालिका सीमा को छोड़कर)	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत — क. राजस्व तहसील गुना, म्याना एवं बजरंगगढ के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकारांतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची-1 के भाग-1 एवं भाग-2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। ख. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127/बी.एन.एस. की धारा 144 एवं 146 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।



			ग. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
3	श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र- 1- सिरसी	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत- क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र- (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ़, (5) फतेहगढ़, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 400,001 से 5,00,000 तक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र- (1) केन्ट	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत- क. आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. / 223 बी.एन.एस.एस.।
		3(द) आरक्षी केंद्र- सिरसी	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (इ) में अंकित आरक्षी केंद्रों में- न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
4	श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र- 1-बजरंगगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत- क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र- (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ़, (5) फतेहगढ़, (6) सिरसी (7) बमौरी	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 5,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।

		(8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	
		3(स) आरक्षी केंद्र— 1— आबकारी वृत्त गुना (1 एवं 2)	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र— बमौरी, बजरंगगढ़	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केंद्रों में— न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
5	श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र 1— धरनावदा 2— यातायात	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र— (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ़, (5) फतेहगढ़, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 2,00,001 से 4,00,000 तक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र— (1) केन्ट	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत— क— मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र— धरनावदा	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केंद्रों में— न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
6	श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र— 1—फतेहगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।



		3(ब) आरक्षी केंद्र— (1) कोतवाली, (2) केन्ट, (3) म्याना, (4) बजरंगगढ़, (5) फतेहगढ़, (6) सिरसी (7) बमौरी (8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 1,00,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र 1—कोतवाली से संबंधित	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न — क. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ख. आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. / 223 बी.एन.एस.एस.।
		3(द) आरक्षी केंद्र— फतेहगढ़, म्याना, जी.आर.पी., केन्ट एवं कोतवाली	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (स) में अंकित आरक्षी केंद्रों में— न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
7	श्रीमती श्रुति चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र 1—महिला	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र— (1) म्याना, (2) केन्ट, (3) कोतवाली, (4) सिरसी (5) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध — क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।
		3(स) आरक्षी केंद्र— म्याना, सिरसी, महिला, केन्ट, कोतवाली, एवं धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में — न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
8	श्रीमती आयुषी मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना	3(अ) आरक्षी केंद्र— बमौरी	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य

			<p>अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन।</p> <p>ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।</p> <p>ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।</p> <p>2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
		<p>3(ब) आरक्षी केंद्र—</p> <p>(1) फतेहगढ़,</p> <p>(2) बजरंगगढ़,</p> <p>(3) बमौरी</p>	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध —</p> <p>क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही।</p> <p>ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)।</p> <p>घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण।</p> <p>ड. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।</p>
		<p>3(स) आरक्षी केंद्र—</p> <p>(1) कोतवाली,</p> <p>(2) केन्ट,</p> <p>(3) म्याना,</p> <p>(4) बजरंगगढ़,</p> <p>(5) फतेहगढ़,</p> <p>(6) सिरसी</p> <p>(7) बमौरी</p> <p>(8) धरनावदा (गुना तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)</p>	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 1 से 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।</p>
		<p>3(द) आरक्षी केंद्र—</p> <p>फतेहगढ़, बजरंगगढ़, बमौरी</p>	<p>1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में — न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।</p>
9	श्री बुदे सिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन	<p>3(अ) आरक्षी केंद्र—</p> <p>आरोन</p> <p>1— राघौगढ़ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)</p> <p>2— कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)</p>	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत—</p> <p>क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। (कंडिका 11 (3) में उल्लेखित किये गये थाना क्षेत्र से उदभुत ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)</p> <p>ख. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>ग. नाप-तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>घ. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>ड. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>छ. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>



		3(ब) आरक्षी केंद्र— 1—आरोन, 2—राघौगढ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध — क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन।
		3(स) आरक्षी केंद्र— आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद। 2. वन विभाग/वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र— आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में — न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध महिला/पुरुष बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र. सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
		3(इ)— आबकारी वृत्त— आरोन	1. स्तंभ क्रं.—3(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध — क. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(उ) आरक्षी केंद्र— आरोन, राघौगढ (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (उ) में अंकित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत — क. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)।
10	सुश्री प्रियम सेन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौडा	3(अ) आरक्षी केंद्र— कुंभराज एवं मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियाँ। घ. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

		3(ब) तहसील— चांचौड़ा, मृगवास एवं कुंभराज	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र— आबकारी वृत्त— चांचौड़ा	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र— कुंभराज, मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप-तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड.. खनिज अधिनियम(Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
10-A	न्यायाधिकारी, न्यायालय, चांचौड़ा	ग्राम 3(अ) तहसील चांचौड़ा	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में अंकित राजस्व तहसील, के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची-1 के भाग-1 एवं भाग-2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127/बी.एन.एस. की धारा 144 एवं 146 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
11	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौड़ा	3(अ) आरक्षी केंद्र— चांचौड़ा,	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) ख. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियों। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र— चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध — क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही। ख. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन।



		3(स) आरक्षी केंद्र— चांचौड़ा	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप-तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड. खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र— चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास	1. स्तंभ क्रमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. वन्य विधि (Forest Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(इ) आरक्षी केंद्र— चांचौड़ा, मृगवास एवं कुंभराज	1. स्तंभ क्रमांक 3 (इ) में अंकित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत — क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष/महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र. सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
12	श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़	3 (अ) आरक्षी केंद्र— राघौगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उद्भूत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र—राघौगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध — क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र— आबकारी वृत्त— राघौगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र—राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़,	1. स्तंभ क्रमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 2,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के

		जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकान्तर्गत)	परिवाद।
		3(इ) आरक्षी केंद्र— राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकान्तर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न— क. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ख. नाप-तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ग. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। घ. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। ड. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(ई) आरक्षी केंद्र— राघौगढ़ एवं जामनेर	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (ई) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत— क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
13	श्री आशीष शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़	3(अ) आरक्षी केंद्र जामनेर, धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकान्तर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र—जामनेर, धरनावदा (राघौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकान्तर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध— क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र राघौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राघौगढ़ तहसील	1. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 100,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।



		क्षेत्राधिकांतर्गत)	
		3(द) आरक्षी केंद्र जामनेर, धरनावदा (राधौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।
	श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़	3(अ) आरक्षी केंद्र मधुसूदनगढ़, विजयपुर	1. स्तम्भ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न/उदभुत— क. आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (ग्राम न्यायालय एवं विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। ख. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। ग. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां (रिट पिटीशन क्रमांक 789/2022 में पारित आदेश के अधीन)। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र— मधुसूदनगढ़, विजयपुर	1. स्तम्भ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – क. महिलाओं से संबंधित अपराध/प्रकरण/कार्यवाही।। ख. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। ग. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। घ. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। ड. भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। च. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		3(स) आरक्षी केंद्र राधौगढ़, विजयपुर, मधुसूदनगढ़, जामनेर एवं धरनावदा (राधौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकांतर्गत)	1. स्तम्भ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 1 से 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र मधुसूदनगढ़, विजयपुर	1. स्तम्भ क्रमांक 3 (द) में अंकित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत उदभुत – क. न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध पुरुष बंदी/महिला बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176/196 बी.एन.एस.एस. के अधीन मृत्यु जांच।

—: नोट :—

1. इस कार्य विभाजन/ वितरण आदेश की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद जिला गुना क्षेत्राधिकारांतर्गत स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र या वृत्त के किसी प्रकरण को प्रशासनिक कार्य व्यवस्था हेतु उचित एवं

- आवश्यक प्रतीत होने से सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सुनवाई/निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय से आहरित कर अन्य न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है, कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और उक्त व्यवस्था से अन्यथा कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विनिर्दिष्ट आदेश के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।
2. पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु उक्त न्यायालयों में लंबित रिमांड पत्रावलियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पर प्रभावशील होने के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जाएंगी।
 3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में अन्य कोई आदेश प्रसारित न किये जाने तक संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर निराकृत किये जाने योग्य मामले/प्रकरण अनुसूची क्रमांक—“अ” अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर विधि अनुसार निराकृत किये जाएंगे।
 4. धारा 164 द.प्र.सं./धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लेखबद्ध करने के लिये अनुसूची—“ब” के अनुसार व्यवस्था रहेगी।
 5. संक्षिप्त विचारण का अभिलेख तैयार करने के लिये द.प्र.सं. की धारा 265(2)/धारा 290 (2) बी.एन.एस.एस. के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।
 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियां प्राप्त समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भी चलित न्यायालय लगाने जाने बावत् पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अपने-अपने थाना क्षेत्र में समय-समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे। किंतु न्यायालयीन समय में चलित न्यायालय लगाये जाने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी।
 7. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में ही प्रभावी रहेगा तथा यह कार्य विभाजन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना सहित किसी अधिनियम नियम अथवा अधिसूचना के विपरीत न होकर उसके अधीन ही प्रभावशील रहेगा।
 8. तहसील गुना के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 09 की धारा 125 से 128/बी.एन.एस. की धारा 144 एवं 146 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गुना को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाएगा।
 9. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माना जाएंगे और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गुना/चांचौड़ा द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जाएंगे।
 10. किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण गुना न्यायिक जिले के आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड, गुना में प्रस्तुत किये जावेगा।
 11. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गुना के अवकाश पर रहने एवं स्थानांतरण की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अनुपस्थिति की दशा में कम से कम एक सदस्य बोर्ड/मुख्यालय पर उपस्थित रहे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सहित बोर्ड के दोनों सदस्यगण की अनुपस्थिति की दशा में सर्वप्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य संपादित किया जावेगा।
 12. जिला न्यायिक स्थापना, गुना एवं तहसील न्यायिक स्थापना आरोन, राघौगढ एवं चांचौड़ा पर पूर्व में कार्यरत रहें एवं वर्तमान में रिक्त किसी भी न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित



न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपनी-अपनी क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केंद्र (आरक्षी केन्द्र केन्द्र एवं कोतवाली को छोड़कर) अनुसार संपादित करेंगे।

13. आरक्षी केन्द्र केन्द्र के स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री राजकुमार तोरनिया** द्वारा एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली के स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री सुरेश बारगीया** द्वारा संपादित की जावेगी।
14. आरक्षी केन्द्र केन्द्र के अंतर्गत 52-ए की कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **सुश्री आयुषी मिश्र** एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अंतर्गत 52-ए की कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री सुरेश बारगीया** द्वारा संपादित की जावेगी एवं शेष समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत अधिनियम की धारा 52-ए कार्यवाही संबंधी आवेदनों का निराकरण सुसंगत नियमों के अधीन करेंगे।
15. पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के संबंध में पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त न्यायालय के आदेश/निर्णय के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय अनुसार निष्पादन कार्यवाही गुना जिला न्यायिक स्थापना पर **श्री राजकुमार तोरनिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना एवं तहसील न्यायिक स्थापना राघौगढ़ पर **श्री रवि तंवर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़, तहसील न्यायिक स्थापना चांचौड़ा पर **श्रीमती डिम्पल कश्यप** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा एवं तहसील न्यायिक स्थापना आरोन पर **श्री बुदे सिंह सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरोन संपादित करेंगे।
16. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो नं.-सी./5900/III-6-6/90 जबलपुर दिनांक 03.09.2025 के पालन में वरिष्ठ न्यायालय गुना जिला न्यायिक स्थापना पर **श्री डालचंद** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना एवं तहसील न्यायिक स्थापना राघौगढ़ पर **श्री संजीव पिपलादिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़, तहसील न्यायिक स्थापना चांचौड़ा पर **सुश्री प्रियम सेन** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा एवं तहसील न्यायिक स्थापना आरोन पर **श्री बुदे सिंह सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरोन संपादित करेंगे।
17. आरक्षी केन्द्र से संबंधित अपराध/प्रकरणों एवं पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरणों को छोड़कर शेष अन्य समस्त परिवाद प्रकरण के संबंध में पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त न्यायालय के आदेश/निर्णय के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय अनुसार निष्पादन कार्यवाही गुना जिला न्यायिक स्थापना पर **श्री राजकुमार तोरनिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना एवं तहसील न्यायिक स्थापना राघौगढ़ पर **श्री रवि तंवर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़, तहसील न्यायिक स्थापना चांचौड़ा पर **श्रीमती डिम्पल कश्यप** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा एवं तहसील न्यायिक स्थापना आरोन पर **श्री बुदे सिंह सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरोन संपादित करेंगे।
18. महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित समस्त एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां और गुना जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कार्यवाहियां इस कार्यविभाजन/वितरण आदेशानुसार संबंध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित किया जावेगा।
19. अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश एवं निर्णय का निष्पादन किसी नाम निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा किये जाने के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय का विनिर्दिष्ट आदेश होने पर उक्त नाम निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा ही तत्संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी।
20. पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त न्यायालय के आदेश/निर्णय के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय अनुसार निष्पादन कार्यवाही गुना जिला न्यायिक स्थापना पर एवं तहसील न्यायिक स्थापना पर कार्यवाहियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपनी-अपनी क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केंद्र (आरक्षी केन्द्र केन्द्र एवं कोतवाली को छोड़कर) अनुसार संपादित करेंगे तथा आरक्षी केन्द्र केन्द्र के संबंध में उपरोक्त कार्यवाहियां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री राजकुमार तोरनिया** द्वारा एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्री सुरेश बारगीया** द्वारा संपादित की जावेगी।



21. सार्वजनिक अवकाश दिवसों में नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड ड्यूटी परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।
22. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को तथा बाह्यवर्ती स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
23. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना को संदर्भित कर उक्त संबंध में सुझाव या मार्गदर्शन लिया जावे।

(कु० मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुना (म.प्र.)

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)



माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त यह कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष-2026 संलग्न अनुसूची "अ" एवं "ब" सहित दिनांक- 19.01.2026 से प्रभावशील।
प्रतिलिपियां :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

पृष्ठांकन क्रमांक 2 / 2026

गुना दिनांक 16.01.2026

01.	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला न्यायालय, गुना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02.	माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एट्रोसिटीज), गुना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
03.	माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
04.	समस्त माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
05.	जिला कलेक्टर, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06.	पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07.	जिला रजिस्टार (सिविल कोर्ट्स) गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08.	समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09.	जिला अभियोजन अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को प्रेषित बावत्।
10.	समस्त थाना प्रभारी की ओर पालनार्थ प्रेषित।
11.	थाना प्रभारी, जी.आर.पी. गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12.	उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन गुना की ओर समस्त खाद्य निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13.	नापतोल निरीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14.	कारखाना निरीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15.	श्रम अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16.	औषधी निरीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17.	जिला वन मण्डलाधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18.	जिला आबकारी अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21.	जेल अधीक्षक, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22.	फाईलिंग रिसीविंग सेन्टर, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
23.	सांख्यिकी लेखक, जिला एवं सत्र न्यायालय गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24.	प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
25.	अध्यक्ष अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26.	सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा न्यायिक स्थापना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।



(कु0 मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला गुना म.प्र.

[illegible]

12.	श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ 2. श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ 3. श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 4. श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 5. श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 6. श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 7. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 8. सुश्री आयुषी मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 9. श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना
13.	श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ 2. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ 3. श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 4. श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 5. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 6. श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 7. श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 8. श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 9. सुश्री आयुषी मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना
14.	श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ 2. श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ 3. श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 4. श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 5. श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 6. श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 7. श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 8. श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना 9. सुश्री आयुषी मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

(कु0 मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)



न्यायालय : कु0 मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

::: धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता / धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन
कथन एवं संस्वीकृतियाँ :::

::: अनुसूची "ब" :::

प्रभावशील दिनांक 19.01.2026

क.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
1	आरक्षी केन्द्र बमौरी (तहसील गुना क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री डालचंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
2	आरक्षी केन्द्र केन्ट, जी.आर.पी. (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री राजकुमार तोरनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
3	आरक्षी केन्द्र सिरसी, फतेहगढ़ (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण) आरक्षी केन्द्र आरोन, आरक्षी केन्द्र राधौगढ़ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (श्री बुदेसिंह सोलंकी जे.एम.एफ.सी. आरोन को आवंटित के अतिरिक्त अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण)	श्री सुरेश बारगीया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
4	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, म्याना (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री चेतन बजाड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
5	आरक्षी केन्द्र महिला, आरक्षी केन्द्र अजाक (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री यश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
6	आरक्षी केन्द्र बजरंगगढ़ (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती श्रुति चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
7	आरक्षी केन्द्र धरनावदा (तहसील गुना क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री आयुषी मित्तल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
8	आरक्षी केन्द्र आरोन, आरक्षी केन्द्र राधौगढ़ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (माननीय सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय एवं पॉक्सो न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरण)	श्री बुदे सिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
9	आरक्षी केन्द्र कुंभराज एवं मृगवास (महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों को छोड़कर)	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौडा
10	आरक्षी केन्द्र कुंभराज एवं मृगवास (महिला उत्पीड़न से संबंधित समस्त प्रकरण) एवं आरक्षी केन्द्र चांचौडा से संबंधित (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री प्रियम सेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौडा



11	आरक्षी केन्द्र मधुसूदनगढ़ एवं धरनावदा (राधौगढ़ तहसील क्षेत्राधिरान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री संजीव पिपलादिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़
12	आरक्षी केन्द्र विजयपुर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़
13	आरक्षी केन्द्र राधौगढ़, जामनेर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़

नोट – उपर्युक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन लिये जाने हेतु अनुसूची 'अ' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं अनुसूची 'अ' के प्रभारी मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने की दशा में अन्य कमवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन लिये जायेंगे।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

(कु0 मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

